

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश

निबंधित

संवेदक श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम-जमुनापुर, पो0-बझेयाँ, जिला-पूर्वी चम्पारण, निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-175(भवन)/2011 द्वारा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन कल्याणपुर, मोतिहारी एकरारनामा संख्या-32F2/2012-13 के निर्माण कार्य में एकरारनामा के अनुसार ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने एवं अधूरे कार्य का भुगतान प्राप्त करने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक-1401 दिनांक-03.10.2017 के आलोक में मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-2204(अनु0) दिनांक-20.10.2017 द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक-06.11.2017 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें संवेदक श्री संतोष कुमार यादव, से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संवेदक से विभागीय पत्रांक-11405(भ0) दिनांक-20.12.17 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-2312(अनु0) दिनांक-13.11.2017 द्वारा संवेदक को कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा की गयी। दिनांक-05.01.2018 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें संवेदक श्री संतोष कुमार यादव, को अंतिम रूप से स्मार देने का निर्णय लिया गया। पुनः संवेदक से विभागीय पत्रांक-456(भ0) दिनांक-15.01.2018 द्वारा स्मार स्पष्टीकरण पूछा गया। संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05.02.18 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में समिति द्वारा संवेदक के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(क)(ii) के आलोक में संवेदक श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम-जमुनापुर, पो0-बझेयाँ, जिला-पूर्वी चम्पारण, निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-175(भवन)/2011 को पत्र निर्गत की तिथि से दो वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम-जमुनापुर, पो0-बझेयाँ, जिला-पूर्वी चम्पारण, निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-175(भवन)/2011 को पत्र निर्गत की तिथि से दो वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जाता है।

Casby
20/2/18

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-24/2017.17.12.21) पटना, दिनांक-22/2/18

प्रतिलिपि:-संवेदक श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम-जमुनापुर, पो0-बझेयाँ, जिला-पूर्वी चम्पारण, को सूचनार्थ प्रेषित।

Casby
20/2/18

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-24/2017...17/2(2) पटना,दिनांक-22/2/18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Carby
20/2/18

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-24/2017...17/2(2) पटना, दिनांक-.22/2/18

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Carby
20/2/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

Carby
20/2/18